रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2632] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2014/पौष 3, 1936
No. 2632] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2014/PAUSHA 3, 1936

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3269(अ).—यत: दिल्ली के मास्टर प्लान में अधोउल्लिखित क्षेत्र के संबंध में सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 22.05.2014 की सं. का.आ. 1343(अ), की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कोई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं; और

3 यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021/जोन-जे की क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021/जोन-जे की क्षेत्रीय विकास योजना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

स्थान	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग (दि.मु.यो-2021/जेडडीपी-जे)	परिवर्तित भूमि उपयोग	सीमाएं
गांव जोनापुर, जोन-जे (दक्षिण दिल्ली-II)	37.11 एकड़ (15.02) हेक्टेयर)	'रिहायशी'	"सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक (पीएस1)"	पॉकेट ए (9.14 हैक्ट.) उत्तर: फार्म हाउस पश्चिम : मौजूदा मंडी रोड (60 मीटर तक चौड़ा करना प्रस्तावित)

				पूर्व: स्लम और जे जे समूहों के पुनर्वास हेतु भूमि दक्षिण: अनधिकृत कॉलोनी (बापू कॉलोनी) पॉकेट बी (5.88. हैक्ट.) उत्तर: अनधिकृत कॉलोनी (भीम बस्ती) की ओर जाने वाली मौजूदा 3 मी-4 मी. रोड पश्चिम: वन भूमि पूर्व: मौजूदा मंडी रोड (60 मी. तक चौड़ा करना प्रस्तावित) दक्षिण: लोक निर्माण विभाग की भूमि

[फा. सं. के-13011/15/2014-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2014

S.O. 3269(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1343(E), dated 22.05.2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, no objection/suggestion has been received in this regard to the proposed modification; and

3. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021/Zonal Development Plan of Zone-J.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021/Zonal Development Plan of Zone-J with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

Location	Area	Landuse (MPD-2021/ZDP-J)	Land Use Changed to	Boundaries
Village Jonapur, Zone-J (South Delhi-II)	37.11 acres (15.02 ha)	"Residential"	"Public & Semi Public (PS1)"	**Pocket A (9.14 ha.):** North: Farm Houses West: Existing Mandi Road (Proposed for widening upto 60 mtr.) East: Land for Rehabilitation of Slum & JJ Clusters. South: Unauthorised colony (Bapu Colony)

				Pocket B (5.88 ha.): North: Existing 3m-4m road Leading to Unauthorized colony (Bhim Basti) West: Forest Land East: Existing Mandi Road (Proposed for widening upto 60 mtr.) South: PWD Land.

[F. No. K-13011/15/2014-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.